छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा | प्रथम सत्र | अंक-18

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 फरवरी, 2019

(फाल्गुन 7, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. भारतीय वायु सेना द्वारा की गई कार्यवाही की सराहना

भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई सफल कार्यवाही पर श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, सदस्य-सर्वश्री अजीत जोगी, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल,बृजमोहन अग्रवाल, धर्मजीत सिंह,मोहन मरकाम, अरूण वोरा,अमरजीत भगत, श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने उद्गार व्यक्त किये ।

माननीय अध्यक्ष ने भी उद्गार व्यक्त किये कि आज तड़के भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर सफल कार्यवाही कर सी.आर.पी.एफ.के जवानों की शहादत का बदला लिया । यह सदन वायु सेना के इस पराक्रम की सराहना करता है । हम और समस्त प्रदेशवासी भारतीय सेना के साथ हैं।

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या- 02 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री विद्यारतन भसीन अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 50 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न क्रमांक 03 पर चर्चा के दौरान श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में बहिर्गमन किया गया ।

4. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा एवं अन्य प्रतिपक्षी दल के सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को किसानों की सूची न भेजे जाने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का छठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 पटल पर रखा ।

6. पृच्छा

सर्वश्री अजय चन्द्राकर,बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य द्वारा पुन: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ न मिलने संबंधी स्थगन पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

7. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती इन्दू बंजारे, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य ने पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में टावर लाईन निर्माण से प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य गर्भगृह में आये ।)

(निरंतर व्यवधान होने से विधान सभा की कार्यवाही 12.16 बजे स्थगित की जाकर 12.37 बजे समवेत हुई ।)

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

8. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :- डॉ.रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी,सर्वश्री सौरभ सिंह, डमरूधर पुजारी, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, भीमा मण्डावी एवं रजनीश कुमार सिंह।

9. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अधीन निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की।

10. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री अरूण वोरा, सदस्य ने नई राजधानी रायपुर में वेदांता को अस्पताल निर्माण हेतु नियम विरूद्ध जमीन आवंटित किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि आज शून्यकाल में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने उनके द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में मेरा ध्यानाकर्षित किया । मैं उनके द्वारा प्रस्तुत स्थगन की सूचना को ध्यानाकर्षण के रूप में लूंगा ।

12. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री सौरभ सिंह
(2) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा
(3) डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव
(4) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
(5) श्री रामपुकार सिंह ठाकुर

13.याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्रीमती इन्दू बंजारे
(2) श्रीमती छन्नी चंदू साहू
(3) श्री सौरभ सिंह

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019)

श्री रविन्द्र चौबे, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2019) पुर:स्थापित किया।

15. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन से संबंधित मांग संख्या-1, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय से संबंधित मांग संख्या-02, वित्त विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-06, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-60,ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-12, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-25, जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-32,इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या-71 एवं विमानन विभाग से संबंधित मांग संख्या-65, प्रस्तुत की ।

मांग संख्या-01 पर श्री पुन्नूलाल मोहले,डॉ.रेणु अजीत जोगी, श्री बृजमोहन अग्रवाल, मांग संख्या-06 पर डॉ.रेणु अजीत जोगी, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, मांग संख्या-12 पर सर्वश्री धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, सौरभ सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी,सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, मांग संख्या-25 पर डॉ.रेणु अजीत जोगी, मांग संख्या-65 पर श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी ।

डॉ. रमन सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री मोहन मरकाम,

(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए।

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, संतराम नेताम

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री सौरभ सिंह, शिशुपाल सोरी,रजनीश कुमार सिंह, अनूप नाग, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री शैलेष पाण्डेय, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, श्री धर्मजीत सिंह

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

16.विनियोग विधेयक के प्रस्तुत करने के समय में वृद्धि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 के उप नियम (2) के अन्तर्गत अनुदान के मांगों के लिये नियत अंतिम दिन 4.00 बजे विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है । चूंकि अभी मांगों पर चर्चा शेष हैं, अत: अनुदान की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने एवं मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् विनियोग विधेयक प्रस्तुत करने हेतु समय में वृद्धि की जाय ।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

सदन द्वारा सहमति दी गई ।

17. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमश:)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री रामकुमार यादव, नारायण चंदेल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्रीमती रशिम आशीष सिंह, डॉ.रेणु अजीत जोगी,श्री शिवरतन शर्मा,श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष ।

18.सदन को सूचना

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने महाशिवरात्रि के अवसर पर राजिम में दिनांक 19 फरवरी से 04 मार्च, 2019 तक आयोजित माघी पून्नी मेले में आयोजित संत समागम कार्यक्रम में सभी माननीय सदस्यों को आमंत्रित किया है ।

माननीय सदस्यों के राजिम जाने के लिये विधान सभा परिसर में आज सायं 7.00 बजे, बस की व्यवस्था की गई है ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची में सम्मिलित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की ।

19. वर्ष 2019-2020 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

20. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019)

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2019 (क्रमांक 5 सन् 2019) पुरःस्थापित किया ।

सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 27 फरवरी, 2019 (फाल्गुन-8, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा